समक्ष

मानननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (प्रधान पीठ),नईदिल्ली

मूल आवेदन संख्या **135/2024**

और

मूल आवेदन संख्या **267/2024**

उपरोक्त प्रकरण में:

खुशबू सिंह.................... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य.................... प्रतिवादी

माननीय न्यायाधिकरण द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक -10 -01 -2025 तथा 24.10.2024 के अनुपालन में प्रस्तुत

<u>अनुक्रमणिका</u>

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	**शपथ पत्र द्वारा प्रत्यर्थी/उत्तरदाता संख्या-09** अभिसाक्षी राणा प्रताप सिंह पुत्र श्री गजराज सिंह निवासी ग्राम-बलनपुर,पोस्ट-जंगीगंज,तहसील-ज्ञानपुर, जिला-संतरविदासनगर (भदोही)	01 — 02
2.	**उत्तर पत्र द्वारा प्रत्यर्थी /उत्तरदाता संख्या-09** राणा प्रताप सिंह पुत्र श्री गजराज सिंह निवासी ग्राम-बलनपुर, पोस्ट-जंगीगंज, तहसील-ज्ञानपुर, जिला-संतरविदासनगर	03 — 07

क्रमशः 2

3.	**<u>अनुलग्नक-आर-1</u>** कार्यालय जिलाधिकारी ,संतरविदास नगर (भदोही)खनिज अनुभाग द्वारा दिनांक - **14 -02 2025**को जारी सूचना पत्र संख्या-24 /खनन लिपिक /2025 की प्रति ।	08 – 10
4.	**<u>अनुलग्नक-आर-2</u>** **लेटर ऑफ इंटेंट (LOI)** कार्यालय जिलाधिकारी,संतरविदास नगर (भदोही) खनिज अनुभाग द्वारा **<u>जनपद - भदोही के तहसील-ज्ञानपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम -इब्राहिमपुर-गाटा संख्या-103</u>** <u>के संबंध में</u> दिनांक-15-09-2021 को जारी सहमति/आशयपत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) संख्या-419/खनिज/बालू/ई-निविदा सह ई-नीलामी/2021 की प्रति	11 – 12
5.	**<u>अनुलग्नक-आर - 3</u>** **पर्यावरण वन अनापत्ति** जनपद भदोही (संतरविदासनगर) तहसील ज्ञानपुर के अन्तर्गत ग्राम इब्राहिमपुर एवं पुरवा के लिए पर्यावरण वन अनापत्ति , प्रभागीय वनाधिकारी, भदोही वन प्रभाग द्वारा पूर्व में निर्गत अनापत्तिपत्र संख्या 344/ज्ञानपुर/26-1दिनांक-13.08.2021 के माध्यम से स्पष्टीकरण ग्राम-इब्राहिमपुर एवं पुरवा के लिए वर्ष 2017 में जारी वन स्वीकृतियों में से "कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य" के अन्तर्गत नहीं आता है।	13
6.	**<u>अनुलग्नक-आर-4</u>** **निष्पादित पट्टविलेख की प्रति -** जनपद -भदोही के तहसील-ज्ञानपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम -इब्राहिमपुर-गाटा संख्या-103 के संबंध में दिनांक-15-09-2021 को	14 – 21

(3)

	जारी सहमति/आशयपत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) संख्या-419/खनिज/बालू/ई-निविदा सह ई-नीलामी /2021 के निर्देशों के अनुपालन में पट्टा विलेख निष्पादन संख्या -बही संख्या -1 जिल्द संख्या -3410 के पृष्ठ संख्या -269 से 314 तक क्रमांक-4222 पर दिनांक-14-12-**2021को रजिस्ट्री कृत किया गया।**	

राणा प्रताप सिंह

(राणा प्रताप सिंह)

प्रत्यर्थी /उत्तरदाता संख्या:09

द्वारा - Srivastava

(चंद्र कुमार श्रीवास्तव)

अधिवक्ता

17 न्यू लायर्स चेम्बर,सीतलवाड ब्लॉक

.सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली-

मोबाइल-(91)9013234757/ 9891265033

cosmic.jurisindia@gmail.com

दिनांक:

832

INDIA NON JUDICIAL

IN-UP33233696407583X

(1)

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Acc Name-Chandan Kr. Gupta Gr. Noida G.B. Nagar Lic. No. 149/14 Acc-Code 14006004

Certificate No.	:	IN-UP33233696407583X
Certificate Issued Date	:	05-Mar-2025 06:16 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14006004/ GREATER NOIDA/ UP-GBN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14006004636709235111 73X
Purchased by	:	RANA PRATAP SINGH
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	RANA PRATAP SINGH
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	RANA PRATAP SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

NOTARY Arvind Kumar Srivastava Advocate Distt. Gautam Budh Nagar Reg. No.-21393 Expiry/15/3/25 GOVT OF INDIA

NOTARIAL NOTARIAL

Please write or type below this line

BEFORE THE HON'BLE
NATIONAL GREEN TRIBUNAL
(PRINCIPAL BENCH)
NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 135/2024
&
ORIGINAL APPLICATION NO. 267/2024

IN THE MATTER OF

KHUSBU SING ....APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. ......RESPONDENT

AFFIDAVIT OF RESPONDENT NO-09
RANA PRATAP SINGH

राणा प्रताप सिंह

NOTARY Arvind Kumar Srivastava Advocate Distt. Gautam Budh Nagar Reg. No.-21393 Expiry/15/3/25 GOVT OF INDIA

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

समक्ष

मानननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (प्रधान पीठ), नई दिल्ली

मूल आवेदन सं.**135/2024** तथा मूल आवेदन सं.**267/2024**

खुशबू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

शपथपत्र

शपथ पत्र द्वारा **प्रत्यर्थी /उत्तरदाता संख्या-09** मै राणा प्रताप सिंह, उम्र लगभग **57**वर्ष, पुत्र श्री गजराज सिंह निवासी ग्राम-बलनपुर, पोस्ट-जंगीगंज, तहसील-ज्ञानपुर जनपद-संत रविदास नगर (भदोही),उत्तर प्रदेश, पिन कोड- **221310** आधार क्रमांक-**76XX...XXXX..XX45** एवं मोबाइल नंबर-**94xxxxxx74** शपथपूर्वक बयान करता हूं कि:-----

1-यह कि इस शपथ पत्र में दिया गया नाम, पता उपरोक्त तथा चश्पा किया गया छाया चित्र मुझ अभिसाक्षी का है,एवं अभिसाक्षी शपथ-पत्र प्रस्तुत करने हेतु सक्षम है ।

2- यह कि अभिसाक्षी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र के साथ संलग्न वादोत्तर प्रस्तर 01 से 09 तक में किये गए कथन का यहां पुनः उल्लेख करना मात्र शब्दों की पुनरावृति होगी, अतः संलग्न वादोत्तर प्रस्तर 01 से 09 तक में किया गया कथन इस शपथ पत्र का भाग समझा जाय।

राणा प्रताप सिंह
अभिसाक्षी
Sd. Srivastava

NOTARY
Arvind Kumar Srivastava
Advocate
Distt. Gautam Budh Nagar
Reg. No.-21393
Expiry/15/3/25
GOVT OF INDIA

सत्यापन

मैं राणा प्रताप सिंह सत्यापित करता हूँ कि इस शपथपत्र के प्रस्तर 0 1एवं02 तक में किया गया कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य एवं सही है। इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें कोई भी महत्वपूर्ण बात छिपाया नहीं गया है, ईश्वर मेरा साक्षी है ।

राणा प्रताप सिंह
अभिसाक्षी
Sd. Srivastava

ATTESTED

Serial No. 682/2025 **संलग्नक -यथोपरि।**
Date. 07/3/2025
Identify by Sd. C. K. SRIVASTAVA
Place GREATER NOIDA G.B. Nagar
Arvind Kumar Srivastava
Advocate Notary

दिनांक--- 07/03/2025

Arvind Kumar Srivastava
Advocate Notary
Reg No -21393 Expiry/15/3/25
Distt Gautam Budh Nagar

समक्ष

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (प्रधान पीठ), नई दिल्ली

मूल आवेदन सं. 135/2024 तथा मूल आवेदन सं.267/2024

मामले में:

खुशबू सिंह ....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ....प्रतिवादी

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (प्रधान पीठ), नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-**24.10.2024** के अनुपालन में प्रत्यर्थी /उत्तरदाता संख्या - **09** राणा प्रताप सिंह, उम्र लगभग **51**वर्ष, पुत्र श्री गजराज सिंह निवासी ग्राम-बलनपुर, पोस्ट-जंगीगंज, तहसील-ज्ञानपुर जनपद-संत रविदास नगर (भदोही), उत्तर प्रदेश आधार क्रमांक **76xx...xxxx..xx45** एवं मोबाइल नंबर- **94xxxxxx74** द्वारा उत्तर।

NOTARY Arvind Kumar Srivastava Advocate Distt. Gautam Budh Nagar Reg. No.-21393 Expiry/15/3/25 GOVT OF INDIA

अतीव विनमता पूर्वक प्रत्यर्थी / उत्तरदाता संख्या -09 द्वारा उपरोक्त प्रकरण में उत्तर इस प्रकार है -

1-यह कि श्रीमान जिलाधिकारी, भदोही (खनिज अनुभाग) जनपद - संतरविदास नगर, के सूचना दिनांक14.02.2025 पत्रांक-24 /खनन लिपिक /2025 के तहत मुझ प्रत्यर्थी को निम्नलिखित निर्देश जारी किया गया :-

"मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं० 135 /2024 व् 267 /2024 खुशबू सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व् अन्य में पारित आदेश दिनांक 24-10-2024 व् 10-01-25 में आप को प्रतिवादी बनाया गया है, अतः आप को निर्देशित किया जाता है कि मा०राष्ट्रीय हरित

राणा प्रताप सिंह

अधिकरण के पारित आदेश दिनांक 24-10-2024 व् 10-01-25 का अनुपालन करते हुए दिनांक-18-02-2025 को मा० न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें।"

<u>अनुलग्नक-आर-1 – </u>सूचना प्रपत्र पत्रांक-24 /खनन लिपिक/2025 दिनांक 14.02.2025 की प्रति संलग्न है।

2. यह कि उपरोक्त सूचना दिनांक--**15-02-2025**को प्राप्ति उपरांत प्रत्यर्थी द्वारा प्रयागराज से दिल्ली आने हेतु ट्रेन /बस आदि में टिकट प्राप्त करने का अथक प्रयास किया किन्तु प्रयागराज में आयोजित महाकुम्भ के कारण किसी भी साधन से यात्रा टिकट प्राप्त नहीं हो सका,जिसके कारण प्रत्यर्थी अंततः प्राइवेट वाहन (टैक्सी) लेकर प्रयागराज से दिल्ली आने तक अत्यधिक ट्रैफिक जाम का सामना करते हुए,किसी तरह से दिनांक **18-02-2025**को जब माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया, तो ज्ञात हुआ कि प्रकरण में आगामी दिनांक-**21 मार्च 2025** निर्धारित किया जा चुका है।

3-यह कि अगले दिन दिनांक -**19 -02 -2025**को प्रत्यर्थी अपने अधिवक्ता के माध्यम से पत्रावली निरीक्षण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तथा श्रीमान अधिवक्ता महोदय द्वारा दिनांक-21-02-2025 को पत्रावली उपरोक्त निरीक्षणोपरांत प्रकरण उपरोक्त से मुझ प्रत्यर्थीको अवगत कराया गया। जिसका माकूल उत्तर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है।

NOTARY
Arvind Kumar Srivastava
Advocate
Distt. Gautam Budh Nagar
Reg. No.-2139:
Expiry/15/3/26
GOVT OF INDIA

4-यह कि विज्ञप्ति संख्या-**325** /खनिज/ई-निविदासह ई- नीलामी/बालू/**2021** दिनांक-**13-07-2021** द्वारा जनपद भदोही के तहसील ज्ञानपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम- इब्राहिमपुर गाटा संख्या-**103** रकबा **4.047** हेक्टेयर में कुल **121410** घनमीटर प्रतिवर्ष बालू निकासी हेतु सधारण बालू के रिक्त क्षेत्र को पंचवर्षीय खनन पट्टा पर स्वीकृत किये जाने के निमित्त दिनांक-**25-08-2021** से दिनांक **31-08-2021** तक ई-निविदा एम0एस0टी0सी0 लखनऊ के माध्यम से आमंत्रित की गयी जिसके तहत प्रत्यर्थी द्वारा अपनी भगीदारी सुनिश्चित किया गया, तत्क्रम में एम0एस0टी0सी0 लखनऊ

राणा प्रताप सिंह

द्वारा अवशेष समस्त कार्यवाही प्रत्यर्थी द्वारा पूर्ण कराया गया। तदन्तर्गत द्वितीय चरण के ई-नीलामी में एम0एस0टी0सी0 लखनऊ द्वारा दिनांक-**03-09-2021** के ई-मेल के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर जनपद भदोही के तहसील ज्ञानपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम इब्राहिमपुर गाटा संख्या **-103**रकबा **4.047**हेक्टेयर हेतु प्रत्यर्थी के पक्ष में सशर्त पांच वर्षीय खनन पट्टा स्वीकृत किया गया,जैसा कि लेटर ऑफ इंटेंट(**LOI**) के प्रथम प्रस्तर में किये गए उल्लेख से सुस्पष्ट है।

<u>अनुलग्नक-आर-2</u> लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) (आशय / सहमति प्रपत्र) संलग्न है।

5-यह कि श्रीमान जिला अधिकारी भदोही द्वारा प्रत्यर्थी के पक्ष में दिनांक-**15-सितम्बर-2021**को जारी सहमति/आशयपत्र (**LOI**लेटर ऑफ इंटेंट) संख्या-**419/खनिज/बालू/ई-निविदा सह ई-नीलामी /2021**के आलोक में जनपद-भदोही, तहसील-ज्ञानपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम -इब्राहिमपुर-गाटा संख्या-103 के संबंध में साधारण बालू खनन पट्टा निष्पादन हेतु **निर्देश संख्या-09**के अनुपालन मेंजनपद भदोही, तहसील- ज्ञानपुर के अन्तर्गत ग्राम इब्राहिमपुर के लिए निर्गत पर्यावरण वन अनापत्ति, प्रभागीय वनाधिकारी, भदोही वन प्रभाग,भदोही द्वारा पूर्व में निर्गत वन अनापत्ति के संबंध में **स्पष्टीकरण प्रपत्र** संख्या- 344/ज्ञानपुर/21दिनांक-**13 अगस्त 2021** के माध्यम से **अनुलग्नक-आर-3** के द्वितीय प्रस्तर के अंतिम लाइनों में किये गए उल्लेख से सुस्पष्ट है–

"ग्राम- इब्राहिमपुर तहसील ज्ञानपुर जिला भदोही के गाटा संख्या 103 क्षेत्रफल 10 एकड़ [N-25'-13'17.5" E-82"20'56.6"] कछुआ वन्य जीव विहार के क्षेत्र ग्राम- बारीपुर उपरवार, तहसील ज्ञानपुर जिला भदोही से 17.1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जो कछुआ वन्य जीव विहार के अंतर्गत नहीं आता है।"

<u>अनुलग्नक-आर-3-</u>'वन अनापत्ति' स्पष्टीकरण प्रपत्र संलग्न है।

6-यह कि श्रीमान जिलाधिकारी भदोही द्वारा प्रत्यर्थी के पक्ष में दिनांक-**15-सितम्बर2021** को जारी सहमति/आशयपत्र(LOI लेटर ऑफ इंटेंट)

NOTARY Arvind Kumar Srivastava Advocate Distt. Gautam Budh Nagar Reg. No.-21393 Expiry/15/3/25 GOVT. OF INDIA

राणा प्रताप सिंह

संख्या-419/खनिज/बालू/ई-निविदा सह ई-नीलामी /2021 के **निर्देश संख्या-09** के आलोक में जनपद -भदोही, तहसील-ज्ञानपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम -इब्राहिमपुर-गाटा संख्या-103 के 'बालू खनन पट्टा निष्पादन, हेतु उक्त **निर्देश संख्या-09** के अग्र भाग के अनुपालन में उपरोक्त **संलग्नक--आर-3** के तत्क्रम में प्राप्त वन अनापत्ति के आधार पर पट्टा विलेख निष्पादन की कार्यवाही जिला प्रशासन भदोही द्वारा दिनांक- **14-12-2021** को सम्पन्न किया गया, जो बही संख्या-1 जिल्द संख्या -3410 के पृष्ठ संख्या -269 से 314 तक क्रमांक-4222 पर दिनांक-14-12-2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया। तदनुसार खनन संक्रिया आरम्भ किया जाना था।

<u>अनुलग्नक-आर-4-</u> जिला प्रशासन द्वारा निष्पादित रजिस्ट्रीकृत पट्टा विलेख प्रपत्र केकुछ प्रमुख पृष्ठ की प्रति संलग्न है।

7-यह कि प्रभागीय वनाधिकारी, भदोही वन प्रभाग, भदोही द्वारा ग्राम-इब्राहिमपुर, तहसील-ज्ञानपुर, जिला-भदोही के लिए पूर्व में दी गई 'वन अनापत्ति' **अनुलग्नक-आर-3** वैध एवं प्रभावी होते हुए भी ग्राम-इब्राहिमपुर बालू खनन क्षेत्र, जो पूर्व में विज्ञापित, अनुमोदित व् संचालित था, तत्कालीन जिलाधिकारी भदोही द्वारा बगैर किसी विधिक सूचना /नोटिस के **जून 2023** से अचानक खनन संक्रिया स्थगित / रद्द कर दिया गया, जिसके कारण प्रत्यर्थी मानसिक एवं आर्थिक रूप से अत्यधिक हतोत्साहित है।

NOTARY Arvind Kumar Srivastava Advocate Distt. Gautam Budh Nagar Reg. No.-21393 Expiry/15/3/25 GOVT OF INDIA

8-यह कि उपर्युक्त कथनों के दृष्टिगत प्रत्यर्थी द्वारा उपरोक्त कथित अवधि के पूर्व अथवा बाद से उक्त क्षेत्र ग्राम-इब्राहिमपुर, तहसील-ज्ञानपुर,जिला- भदोही के अंतर्गत किसी भी प्रकार से बालू खनन कार्य नहीं किया गया और जब उसने बालू खनन आरम्भ किया था, तो वन विभाग की ओर से उचित अनापत्ति एवं जिला प्रशासन भदोही द्वारा विधिवत अनुमोदित था, अतएव प्रस्तुत उपरोक्त प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा विधिक मंशा के अनुरूप ही खनन कार्य आरम्भ किया गया था, प्रत्यर्थी के ओर से विधि विरुद्ध खनन कार्य करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

राणा प्रताप सिंह

प्रत्यर्थी संख्या-9 पूर्णतया निर्दोष है, उसे उपरोक्त संचालित न्यायिक कार्यवाही से मुक्त किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है।

9-यह कि प्रत्यर्थी स्वयं कानून का पालन करने वाला एवं पर्यावरण हितैषी होने के कारण माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (प्रधान पीठ), नई दिल्ली के समक्ष सम्मानपूर्वक वचनबद्ध है कि वह माननीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित समस्त आदेशों / निर्देशों का पूर्णतः पालन करेगा तथा यह सुनिश्चित करने का अपना कर्तव्य स्वीकार करता है कि पर्यावरण सुरक्षा उपायों का अक्षरशः तथा सम्पूर्ण भावना से पालन करेगा ।

प्रार्थना

अतः अतीव विनम्रता पूर्वक माननीय न्यायालय से सादर अनुरोध है कि प्रत्यर्थी संख्या-**9** को उपरोक्त संचालित न्यायिक कार्यवाही से मुक्त करते हुए, प्रत्यर्थी के हित में अन्य कोई भी अनुतोष जो माननीय न्यायालय की दृष्टि में समुचित हो, आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें ताकि न्याय हो।

राणा प्रताप सिंह

प्रत्यर्थी

NOTARY
Arvind Kumar Srivastava
Advocate
Distt. Gautam Budh Nagar
Reg. No.-21393
Expiry/15/3/25
GOVT OF INDIA

सत्यापन

मैं राणा प्रताप सिंह सत्यापित करता हूँ कि प्रस्तुत उत्तर के प्रस्तर **01 से 09** तक में किया गया कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सब सत्य एवं सही है।

राणा प्रताप सिंह

प्रत्यर्थी

दिनांक--- 07-03-2025

(8)

अनुलग्नक - आर-1

कार्यालय जिलाधिकारी, भदोही।
(खनिज अनुभाग)

संख्याः 24 /खनन लिपिक/2025 दिनांक 14/02/2025

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली, में योजित ओ0ए0 सं0 135/2024 व 267/2024 खुशबू सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश 10.01.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

श्री राणा प्रताप सिंह पुत्र गजराज सिंह
निवासी ग्राम बलनपुर पोस्ट जंगीगंज
तहसील ज्ञानपुर जिला भदोही।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली, में योजित ओ0ए0 सं० 135/2024 व 267/2024 खुशबु सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.10.2025 व 10.01.2025 में आपको प्रतिवादी बनाया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पारित आदेश दिनांक 24.10.2024 व 10.01.2025 का अनुपालन करते हुये दिनांक 18.02.2025 को मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें।

NOTARY
Arvind Kumar Srivastava
Advocate
Dist. Gautam Budh Nagar
Reg. No.-21393
Expiry/15/3/25
GOVT. OF INDIA

(विशाल सिंह),
जिलाधिकारी
भदोही।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु सादर प्रेषित।
1. कन्सलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली।
2. सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3. निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 शासन लखनऊ।
4. श्री अंकित वर्मा स्थायी अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली।

जिलाधिकारी
भदोही।

राणा प्रताप सिंह

840

(9)

BY SPEEDPOST A.D/EMAIL

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI
Original Application No. 135/2024
Khushu Singh V/S State of Uttar Pradesh & Ors

To

1. **Rana Pratap Singh**
   Son of Gajraj Singh, Resident of Village Balonpur,
   Jangi Ganj, Tehsil Gyanpur,
   District Bhadhoi-221304 U.P — **Respondent No. 9**
2. **Girdhari Prasad Pathak**
   Resident of Village Mahera, Tehsil Bara,
   District Prayagraj-212107 U.P — **Respondent No. 10**
3. **Vijay Kumar Singh**
   Resident of Dubar Kalan Lalgang
   District Mirzapur-231211 U.P — **Respondent No. 11**
4. **M/s Prakash**
   Through his proprietor Prakash Chandra Shukla
   Son of Lal Chandra Shukla Resident of Village Permanandpur,
   Tehsil Handiya, District Prayagraj-221503 U.P — **Respondent No. 12**
5. **M/s Mahip Construction**
   Through his proprietor Shri Mahip Singh
   Son of late Shesh Pratap Singh Resident of Bisenkapura,
   Post Dahariya Urva, Tehsil Meja,
   District Prayagraj-212302 U.P — **Respondent No.13**
6. **Shrimati Shakuntala**
   W/o of Shri Punjab Singh resident of Village Bisenpur,
   Post Dahariya, Police Station Meja,
   District Prayagraj-212305 U.P — **Respondent No. 14**
7. **M/s Singh Construction**
   Through his proprietor Shri Dheeraj Singh
   Son of Shri Kamlakar Singh resident of Village and Post Ghurpur,
   Tehsil Bara Distreit Prayagraj-212111 U.P — **Respondent No.15**
8. **M/s Gyatri Construction**
   Through its proprietor Shrimati Gyatri Singh
   Resident of Phase-2, Soyepur, Pandeypur
   District Varanasi-221001 U.P — **Respondent No. 16**
9. **Arun Kumar Singh**
   Son of Dharmender Pratap Singh Resident of Village Mandakhas,
   Police Station Tappa Manda, Tehsil Meja,
   District Prayagraj-212302 U.P — **Respondent No.17**
10. **District Forest Officer, Mirzapur**
    Civil Lines Road, Forest Office Road, Mirzapur, Uttar Pradesh 231001
    Email: maneeshmittal@gmail.com./pccf-up@nic.in — **Respondent No. 20**
11. **District Forest Officer, Prayagraj**
    E-17/18, Industrial estate, naini, Allahabad, Prayagraj - 211009, Uttar Pradesh
    Email: dedi-allbad@dcmsme.gov.in — **Respondent No. 21**

NOTARY
Arvind Kumar Srivastava
Advocate
Dist. Gautam Budh Nagar
Reg. No.-21393
Expiry/18/8/25
GOVT OF INDIA

NOTICE

Whereas the above titled Application was listed before the Hon'ble Tribunal on [illegible].01.2025 (copy of order & application are enclosed), when the Tribunal inter-alia passed the

राणा प्रताप सिंह

(10)

12

4. Remaining official respondents have been served through email.
5. Response dated 11.12.2024 has been filed by respondent no. 5-DFO Bhadohi (Sant Ravidas Nagar).
6. Responses have not been filed by respondents no. 1 to 4 and 6 to 8 with respect to the questions/aspects referred to in order dated 24.10.2024 passed by this Tribunal.
7. In view of facts and circumstances of the case we consider presence of DFO, Mirzapur and DFO, Prayagraj to be necessary for just and proper adjudication of the questions involved in the case and they are impleaded as respondents no. 18 and 19.
8. The Registry is directed to amend memo of parties to the application and issue notices to respondents no. 18 and 19.
9. Responses by respondents no.1 to 4 and 6 to 8, 18 and 19 may be filed at least 3 days before the next date of hearing fixed.
12. List on 18.02.2025 for further consideration.

_******_

2. Now, take further notice that the above matter will be listed for further consideration before the Hon'ble Tribunal on 18th February, 2025, at **Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001** through physical hearing (with hybrid option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed, and file reply/response, as per directions of the Hon'ble Tribunal vide Order dated 10.01.2025.

3. Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence.

4. Given under my hand and the seal of this Hon'ble Tribunal, on this 22nd January, 2025.

Note: *(For Orders, Cause Lists & other information, please visit our website www.greentribunal.gov.in)*

22/1/25

Consultant (Judicial), NGT

NOTARY ... Kumar Srivastava Advocate Gautam Budh Nagar Reg. No.-21393 Expiry 15/3/25 GOVT OF INDIA

शतरूपा

(11) अनुलग्नक - आर-2

कार्यालय जिलाधिकारी, भदोही।
(खनिज अनुभाग)

संख्याः 419/खनिज/बालू/ई-निविदा सह ई-नीलामी/2021

दिनांक 15 सितम्बर 2021

लेटर ऑफ इन्टेंट

श्री राणा प्रताप सिंह
पुत्र श्री गजराज सिंह
निवासी- ग्राम बलनपुर पोस्ट जंगीगंज
तहसील ज्ञानपुर जिला भदोही।

शासनादेश संख्या-1875/86-2017-57(सा0)/2017 टी0सी0-1 दिनांक 14.08.2017 एवं उ0प्र0 उप खनिज (परिहार)(47वां संशोधन)
नियमावली-2019 का प्रख्यापन दिनाक 13.08.2019 में किये गये संशोधन के परिणाम स्वरूप संशोधित शासनादेश
संख्या-2168/86-2019-57(सा0)/2017 टी.सी.1 दिनांक 09.10.2019 के अनुपालन में विज्ञप्ति सं0-325/खनिज/ई-निविदा सह
ई-नीलामी/बालू/2021 दिनांक 13.07.2021 द्वारा जनपद **भदोही के तहसील ज्ञानपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम इब्राहिमपुर** गाटा सं0-103 **रकबा 4.047हेक्टे0**
में कुल 121410घनमीटर प्रति **वर्ष निकासी** हेतु साधारण बालू के रिक्त क्षेत्र को 05 वर्षीय खनन पट्टा पर स्वीकृत किये जाने निमित्त दिनांक 26.
08.2021 से दिनांक **31.08.2021 तक ई-निविदा एम0एस0टी0सी0** लखनऊ के माध्यम से आमन्त्रित की गयी। तत्क्रम में एम0एस0टी0सी0 द्वारा
अवशेष समस्त कार्यवाही पूर्ण करायी गयी। निविदा खोले जाने पर **05 बिड** प्राप्त हुई। तदन्तर द्वितीय चरण की ई-नीलामी मे एम0एस0टी0सी0
लखनऊ द्वारा दिनांक 03.09.2021 ई-मेल के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर जनपद **भदोही के तहसील** ज्ञानपुर स्थित **ग्राम इब्राहिमपुर** गाटा
सं0-103 **रकबा 4.047हेक्टे0** हेतु **श्री राणा प्रताप सिंह पुत्र श्री गजराज सिंह निवासी - ग्राम बलनपुर पोस्ट जंगीगंज** तहसील ज्ञानपुर जिला भदोही
द्वारा रूपया 65/-प्रति घनमीटर के सापेक्ष **सर्वोच्च बोली रूपया 140/-प्रति घनमीटर** की दर से प्राप्त हुई है। जिसमें रूपया 65/- प्रति घनमीटर
के हिसाब से एक वर्ष की **कुल 121410घनमीटर** मात्रा साधारण बालू की निर्धारित रायल्टी रूपया 7891650/- का 25प्रतिशत रूपया 1972913/-
अर्नेस्ट मनी के रूप में **www.mstcecommerce.com** के ई-पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से आप द्वारा जमा किया गया है।

बालू खनन क्षेत्र **ग्राम इब्राहिमपुर तहसील ज्ञानपुर** में खनन योग्य आंकलित साधारण बालू की **मात्रा कुल** 121410घनमीटर है। इस प्रकार
नीलामी की सर्वोच्च बोली के रूप मे रूपया 140/-प्रति घनमीटर की दर से कुल धनराशि रूपया 16997400(एक करोड उनहत्तर लाख सत्तानबे
हजार चार सौ मात्र) प्रथम वर्ष के लिये बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25प्रतिशत अर्थात रूपया 4249350(बयालिस लाख उनचास हजार
तीन सौ पचास मात्र) प्रतिभूति धनराशि तथा स्वामित्व की पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिये बोली/निविदा का 20प्रतिशत अर्थात रूपया
[illegible](तीस लाख निन्यानबे हजार चार सौ अस्सी मात्र)। इस प्रकार कुल धनराशि रूपया 7648830(छिहत्तर लाख अडतालिस हजार आठ सौ
[illegible] मात्र) में से ई0एम0डी0(अर्नेस्ट मनी) की जमा धनराशि रूपया 1972913(उन्नीस लाख बहत्तर हजार नौ सौ तेरह मात्र) को समायोजित करते
हुये अवशेष देय धनराशि रूपया 5675917(छप्पन लाख पचहत्तर हजार नौ सौ सतरह मात्र) **दो कार्य दिवस के अन्दर** आपको जमा करना है।
निर्धारित अवधि के अन्दर उपरोक्त धनराशि जमा नहीं किये जाने पर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के **अनुसार** जमा बयाने की धनराशि अर्नेस्ट
मनी को राज्य सरकार के पक्ष मे जब्त कर लिया जायेगा। उपरोक्त शासनादेश के अनुरूप 05वर्षीय खनन पट्टा हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन
स्वीकृत किया जाता है-

01. प्रथम वर्ष के लिए देय नीलामी धनराशि की गणना पट्टा क्षेत्र के लिए विज्ञप्ति मे आंकलित मात्रा घनमीटर को निविदा/नीलामी की दर
रूपया घन प्रति मी0 से गुणा कर निकाली जायेगी। खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षो मे प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की देय धनराशि
पर 10प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।

02. आशय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 20प्रतिशत प्रथम
किश्त अर्थात् पट्टे के प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित पट्टा धनराशि के 45प्रतिशत के समतुल्य धनराशि(जिसमें प्री बिड, अर्नेस्ट मनी
समायोजित हो) सम्बंधित जनपद के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में लेटर ऑफ इन्टेन्ट जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर डिमाण्ड
ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा किया जाना होगा। प्री बिड, अर्नेस्ट मनी की धनराशि एम0एस0टी0सी0 लि0 द्वारा सम्बंधित
जनपद के जिलाधिकारी को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से ऑनलाईन हस्तान्तरित की जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त
धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बंध मे कोई
शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।

03. पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्ते एवं अनुवर्ती वर्षो मे बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक
वर्ष विगत वर्ष से 10प्रतिशत की वृद्धि के साथ नियमावली 1963 के पंचम अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी।

04. पट्टा धारक नियम-17 के प्राविधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा (जिसमें सीमा बिन्दुओं का जीओकोआर्डिनेट्स भी इंगित किया
जायेगा) तथा नियम 35 के अनुसार सीमा-स्तम्भ लगायेगा एवं इसका अनुरक्षण करेगा।

05. चयनित आवेदक नियम-34 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं भारत सरकार
के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 सपठित अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 तथा समय-समय पर यथा
संशोधित उपबन्धों के अधीन पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।

06. चयनित पट्टा धारक द्वारा नियम-21 के अनुसार क्षेत्र में भू-उद्धार पुनर्वासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से
जमा करेगा।

07. सहमति पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु देय प्रतिभूति एवं प्रथम किश्त की धनराशि जमा होने के
प्रमाण सहित खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के एक
माह के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा नियम-59(1)
के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तावक शास्ति का भागीदार होगा।

09. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन कराकर खनन संक्रिया तत्काल प्रारम्भ की जानी
होगी।

10. नियम-34(4) के अन्तर्गत पर्यावरण की स्वीकृति की प्रक्रिया के दौरान अपेक्षित समयावधि सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगायी गयी आपत्तियो
का परियोजना प्रस्तावक द्वारा समाधान करना अनिवार्य होगा। नियम-34(4) के उल्लंघन की दशा में जिला मजिस्ट्रेट, नियम-59(7) के
अन्तर्गत जारी लेटर ऑफ इन्टेन्ट निरस्त किया जायेगा।

11. नियम-34(5) के अन्तर्गत पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने के उपरान्त एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन करना
अनिवार्य होगा। नियम-34(5) के उल्लंघन की दशा मे प्रस्तावक द्वारा जमा प्रथम किश्त एवं प्रतिभूति धनराशि समपहृत करते हुये जारी
लेटर ऑफ इन्टेन्ट निरस्त किया जायेगा।

NOTARY
Arvind Kumar Srivastava
Advocate
Distt. Gautam Budh Nagar
Reg. No.-21393
Expiry/15/3/25
GOVT OF INDIA

राणा प्रताप सिंह

12. स्वीकृत पट्टे की अवधि 05वर्ष होगी, परन्तु बोली निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिये मानी जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा यदि पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न हो तो पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र की मान्यता अनुमन्य होगी। पट्टा क्षेत्र हेतु अनुमन्य मात्रा को प्रथम वर्ष के लिये प्राप्त बोली की दर से गुणा कर प्रथम वर्ष हेतु ई–नीलामी की धनराशि निर्धारित की जायेगी। अनुवर्ती वर्षो में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की दर पर 10प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जायेगी तथा तद्नुसार प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षो के लिये पट्टा धनराशि नियमावली–1963 के पंचम अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।
13. प्रथम वर्ष हेतु 80प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं अगामी वर्षो के लिये पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित पंचम अनुसूची के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारत प्रक्रिया के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम–58 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।
14. पट्टाधारक को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि उसका खनन पट्टा किसी कारणो से निरस्त होता है अथवा वह स्वतः खनन पट्टा छोड़ता है तो सम्बंधित खनन पट्टा क्षेत्र हेतु निर्गत पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हस्तान्तरित करने में उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।
15. पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0 जिला खनिज फाउन्डेशन (डी0एम0एफ0) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।
16. पट्टाधारक नियम–35 के अनुसार वाहन के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिये स्वयं के व्यय पर 360डिग्री कोण पर दृष्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा, तौल मशीन व पी0टी0जेड0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टेदार उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई–प्रपत्र एम0एम0–11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख रखाव करेगा एवं सदैव चालू रूप मे अनुरक्षित रखेगा एवं खदान इण्डप्वान्ट पर पी.टी.जेड कैमरा लगवायेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम–66 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।
17. पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई–एम0एम0–11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई–एम0एम0–11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हे सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली 1963 के नियम–59 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।
18. पट्टेदार 03 मीटर की गहराई अथवा जल स्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियाएं नही करेगा।
19. मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय अधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
20. जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्रों में खनन नही किया जायेगा।
21. नदी की जल धारा में सक्शन मशीन लिफटर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
22. स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहॉं परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहॉं पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।
23. राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारकों को मान्य होगा।
24. स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान में रखते हुए अन्य शर्तें जो जिलाधिकारी द्वारा उचित समझी जाये, खनन पट्टा विलेख में सम्मिलित की जा सकेगी।

अतः आप को निर्देशित किया जाता है कि सहमति पत्र(लेटर ऑफ इन्टेन्ट) प्राप्ति के दो कार्य दिवस के अन्दर 25प्रतिशत प्रतिशूति एवं 20प्रतिशत प्रथम किश्त अर्थात पट्टे के प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित धनराशि का 45प्रतिशत के समतुल्य धनराशि रूपया 7648830(छिहत्तर लाख अड़तालिस हजार आठ सौ तीस मात्र) को जमा प्रतिभूति की धनराशि रूपया 1972913(उन्नीस लाख बहत्तर हजार नौ सौ तेरह मात्र) में समायोजित करते हुये अवशेष धनराशि रूपया 5675917(छप्पन लाख पचहत्तर हजार नौ सौ सतरह मात्र) कार्यालय में डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जरिये ट्रेजरी चालान द्वारा जमा कर चालान की प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर उपरोक्त धनराशि जमा नही की जाती है तो शासनादेश में उल्लिखित शर्तो के अनुसार जमा बयाने की धनराशि अर्नेस्ट मनी को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा। भारत सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत खनन की अनुमति दिये जाने हेतु सक्षम स्तर से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं सक्षम स्तर से अनुमोदित खनन योजना (माईनिंग प्लान) प्राप्त कर कार्यालय जिलाधिकारी खनिज अनुभाग भदोही में यथाशीघ्र प्रस्तुत करें, ताकि अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(आर्यका अखौरी)
जिलाधिकारी
भदोही।

<u>संख्या व दिनांक उपरोक्त।</u>
<u>प्रतिलिपि:–</u> निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
3. आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर।
4. शाखा प्रबंधक MSTC Ltd. जी0–25/28 तेज प्लाजा, 1 टी0एन0 सिंह रोड हजरतगंज लखनऊ।
5. प्रभागीय वनाधिकारी भदोही वन एवं भदोही।
6. पुलिस अधीक्षक, भदोही।
7. अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी खनिज भदोही।
8. प्रभारी अधिकारी भूतत्व एव खनिकर्म विभाग उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय सोनभद्र।
9. समस्त उपजिलाधिकारी जनपद भदोही।
10. खान अधिकारी, भदोही।

जिलाधिकारी
भदोही।

NOTARY
Arvind Kumar Srivastava
Advocate
Distt. Gautam Budh Nagar
Reg. No.-21393
Expiry/15/3/25
GOVT OF INDIA

राणा प्रताप सिंह

(13) अनुलग्नक- आर-3

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, भदोही वन प्रभाग, भदोही।

पत्रांक– /ज्ञानपुर/26–1, दिनांक, ज्ञानपुर, अगस्त, 13 2021।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
भदोही।

विषय– पूर्व में निर्गत वन अनापत्ति के संबंध में।
सन्दर्भ– खान अधिकारी, भदोही, कार्यालय जिलाधिकारी, भदोही का पत्रांक– 344/खनन लिपिक/2021, दि0 30.7.2021।

महोदय,

खान अधिकारी, भदोही ने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया है कि " उत्तर प्रदेश शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग के निर्गत शासनादेश संख्या–23168/86–2019–57 (सा0)/2017 टी0सी0 1 दिनांक 09.10.2019 के अनुपालन में साधारण बालू के तीन खनन क्षेत्र चिन्हित है जिसमें से एक खनन क्षेत्र ग्राम पुराया स्वीकृत एवं संचालित है एवं दो खनन क्षेत्र ग्राम कुडीकला तरी एवं ग्राम इब्राहिमपुर रिक्त है। जिसको 5 वर्ष की अवधि के लिए ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रणाली के माध्यम से खनन परिहार स्वीकृत किये जाने हेतु विज्ञप्ति करा दी गयी है।" खान अधिकारी, भदोही ने उक्त पत्र के माध्यम से गंगा नदी में जनपद भदोही और प्रयागराज के मध्य कछुआ सेंचुरी घोषित किया गया है जिसकी बॉउण्ड्री, मानक व निश्चित दूरी के संबंध आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण की जाँच क्षेत्रीय वन अधिकारी, औराई से करायी गयी। क्षेत्रीय वन अधिकारी ने अवगत कराया है कि " उक्त खनन क्षेत्र जलमग्न होने के कारण कछुआ वन्य जीव विहार घोषित किये गये अधिसूचना में उल्लिखित जी0पी0एस0 लोकेशन एवं खनन क्षेत्रों के प्राप्त जी0पी0एस0 लोकेशन को गूगल मैप द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न है) तथा पाया गया कि ग्राम–कुड़ीकला तरी, तहसील–ज्ञानपुर जिला–भदोही का गाटा संख्या–59 क्षेत्रफल में 05.00 एकड़ (N-25°12'57.6" E-82°12'3.5") कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत आता है। इसी प्रकार ग्राम–इब्राहिमपुर, तहसील–ज्ञानपुर जिला–भदोही का गाटा संख्या–103 क्षेत्रफल–10.00 एकड़ (N-25°13'17.5" E-82°20'56.6") कछुआ वन्य जीव विहार के क्षेत्र ग्राम–बारीपुर उपरवार तहसील–ज्ञानपुर जिला–भदोही से 17.1 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है, जो कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत नहीं आता है, तथा ग्राम–पूरवा तहसील–ज्ञानपुर जिला–भदोही का गाटा संख्या–30 क्षेत्रफल 10.00 एकड़ (N-25°13'17.13" E-82°20'43.51")कछुआ वन्य जीव विहार के क्षेत्र ग्राम–बारीपुर उपरवार तहसील–ज्ञानपुर जिला–भदोही से 16.3 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है जो कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत नहीं आता है।"

इस कार्यालय के पत्रांक–1182/ज्ञानपुर/33–1, दिनांक 18.11.2017 द्वारा तहसील ज्ञानपुर के अन्तर्गत ग्राम–कुड़ीकला तरी, इब्राहिमपुर, पूरवा हेतु वन अनापत्ति निर्गत किया गया था परन्तु उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–4 संख्या–346/81–4–2020–823–2008 टी0सी0 लखनऊ, 17 मार्च, 2020 द्वारा निर्गत अधिसूचना में ग्राम बारीपुर उपरवार, ज्ञानपुर जनपद भदोही से ग्राम–कोठारी, मेजा, जनपद–प्रयागराज के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 कि0मी0 लम्बाई में फैले क्षेत्र को कछुआ वन्य जीव विहार घोषित किया गया है। गजट संलग्न है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी, औराई द्वारा उपलब्ध करायी गयी जाँच रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2017 में तहसील ज्ञानपुर के अन्तर्गत ग्राम–कुड़ीकला तरी, इब्राहिमपुर एवं पूरवा हेतु पूर्व में निर्गत वन अनापत्ति में से ग्राम–कुड़ीकला तरी जो कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत आता है, की वन अनापत्ति निरस्त की जाती है।

अतः रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नीरज कुमार आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी,
भदोही वन प्रभाग, भदोही।

संख्या–344 (1)/समदिनांक।

प्रतिलिपि–खान अधिकारी, भदोही, कार्यालय जिलाधिकारी, भदोही को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(नीरज कुमार आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी,
भदोही वन प्रभाग, भदोही।

NOTARY Arvind Kumar Srivastava Advocate Dist. Gautam Budh Nagar Reg. No.-21393 Expiry 15/3/25 GOVT OF INDIA

राणा प्रताप सिंह

अनुलग्नक - आर - 4

(14)

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP61045377032784T
Certificate Issued Date	:	08-Dec-2021 02:04 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14103104/ VARANASI/ UP-SF
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14103104119938353398 22T
Purchased by	:	RANA PRATAP SINGH SON OF GAJARAJ SINGH
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	MAUZA-IBRAHIMPUR, GATA NO.103 RAKBA ... HECTARE TEHSIL GYANPUR DISTT -BHADOHI
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	DISTRICT MAGISTRATE BHADOHI
Second Party	:	RANA PRATAP SINGH SON OF GAJARAJ SINGH
Stamp Duty Paid By	:	RANA PRATAP SINGH SON OF GAJARAJ SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	20,75,420 (Twenty Lakh Seventy Five Thousand Four Hundred And Twenty only)

2075420/-

171

Please write or type below this line

राणा प्रताप सिंह

अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०)
भदोही

0004699693

ATTESTED

Arvind Kumar Srivastava
Advocate Notary
Reg No -21393 Expiry/15/3/25
Distt Gautam Budh Nagar

राणा प्रताप सिंह

(15)

202100998005661

पट्टा अनुबंध विलेख

कार्यालय का नाम : उप निबंधक -ज्ञानपुर

प्रपत्र– एम.एम. 6

खनन के लिए नीलामी पट्टे का आदर्श प्रपत्र–(नियम 29)

यह अनुबन्ध आज......१४......दिनांक...१२.......2021 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हे आगे "राज्य सरकार" कहा गया है, जिस पदावधि के अन्तर्गत यदि सन्दर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकिती भी समझे जायेगें), **–एक पक्ष**

और

श्री राणा प्रताप सिंह पुत्र श्री गजराज सिंह निवासी ग्राम बलनपुर पोस्ट जंगीगंज तहसील ज्ञानपुर जनपद भदोही–221310, व्यवसाय ठेकेदारीजिसे आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावधि के अन्तर्गत, यदि सन्दर्भ से ऐसा ग्राह्य हो उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेगें) –दूसरा पक्ष

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021के अध्याय–04 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) के अनुसार किये गये ई–निविदा सह ई–नीलामी में पट्टाधारक को **तहसील ज्ञानपुर स्थितग्राम इब्राहिमपुर गाटा संख्या–103 रकबा 4.047हेक्टे0 में वार्षिक आंकलित खनन योग्य साधारण बालू 121410 घनमीटरमात्रा** के खनन एवं परिवहन के लिये सर्वोच्च बोली रूपये 140/–प्रति घनमीटर की दर से प्रथम वर्ष हेतु निर्धारित नीलामी पट्टा की सकल धनराशि रूपये 16997400/–

राणा प्रताप सिंह

अप... भदोही

ATTESTED

Arvind Kumar Srivastava
Advocate Notary
Reg No-21393 Expiry/15/3/25
Distt Gautam Budh Nagar

राणा प्रताप सिंह

(18)

202100998005661

एवं अनुवर्ती / आगामी वर्षो में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की धनराशि पर 10प्रतिशत की वृद्धि करते हुये नीलामी पट्टा की धनराशि निर्धारित करने के आधार पर ई–निविदा के प्रस्ताव / ई–नीलामी की बोली को राज्य सरकार द्वारा नीलामी पट्टे के लिये पॉच वर्षो के निमित्त एतद्धीन निम्नलिखित अनुसूची के भाग–1 में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में कुल **4.047हेक्टेके** लिए स्वीकार कर लिया गया है और **प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित धनराशि का 45प्रतिशत (25 प्रतिभूति एवं 20 प्रतिशत प्रथम वर्ष की प्रथम किश्त) के समतुल्य धनराशि रूपया 7648830 में पूर्व में जमा प्रतिभूति स्वरूप रूपये 1972913 (उन्नीस लाख बहत्तर हजार नौ सौ तेरह मात्र)को समायोजित करते हुये एवंप्रथम वर्ष की प्रथम किश्त की अग्रिम धनराशिको सम्मिलित करते हुयेरूपये5675917(छप्पन लाख पचहत्तर हजार नौ सौ सत्तरह मात्र)की धनराशि** राज्य सरकार के पास जमा कर दी है।पट्टेदार का आचरण सन्तोषजनक एवं खनन कार्य आदि सामान्य रहने की दशा में प्रतिभूति की जमा धनराशि पट्टा की अन्तिम किश्त में समायोजित की जायेगी।

उक्त क्षेत्र से साधारण बालू का खनन व परिवहन करने हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 2021 / 10 / 18 / 89241 दिनांक 15.11.2021 द्वारा अनुमोदित खनन योजना एवंState Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh Lucknow, Ref. No. 259/Parya/SEIAA/DEIAA-EC/2021 दिनांक 19.10.2021 (Transfer of EC issued vide letter no. 516/Praya(DEAC/DEIAA)/2018 दिनांक 02.07.2018)द्वारा निर्गत पर्यावरण स्वच्छता प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। उक्त पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र के खनन योग्य क्षेत्रफल(Minable area) 4.047हेक्टे मे मात्रा 121410घनमीटर प्रतिवर्ष के लिये ही स्वीकृत किया गया है। अतः खनन कार्य 4.047हेक्टे में ही अनुमन्य स्वीकृत मात्रा तक ही किया जायेगा। अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में उल्लिखित शर्तो का उल्लेख आगेकिया गया है। उक्त के अतिरिक्त प्रभागीय वनाधिकारी भदोही, वन प्रभाग, भदोही के पत्रांक–1182 / ज्ञानपुर / 33–1 दिनांक

राणा प्रताप सिंह

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) भदोही

जिलाधिकारी भदोही

ATTESTED
Arvind Kumar Srivastava
Advocate Notary
Reg No -21393 Expiry/15/3/25
Distt Gautam Budh Nagar

राणा प्रताप सिंह

(17)

18.11.2017
अनापत्ति

आवेदन सं०: 202100998005661

पट्टा अनुबंध विलेख

वही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 4222 वर्ष: 2021

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 2075420 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 1037800 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 120 योग : 1037920

राणा प्रताप सिंह

श्री राणा प्रताप सिंह ,
पुत्र श्री गजराज सिंह
व्यवसाय : ठेकेदार
निवासी: बलनपुर पोस्ट जंगीगंज तहसील ज्ञानपुर जनपद भदोही-221310

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 14/12/2021 एवं 04:02:23 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विजय कुमार श्रीवास्तव, प्रभारी
उप निबंधक :ज्ञानपुर
भदोही
14/12/2021

निबंधक लिपिक

कार्यालय उप निबन्धक ज्ञानपुर भदोही
सत्यमेव जयते

ATTESTED

राणा प्रताप सिंह

Arvind Kumar Srivastava
Advocate Notary
Reg No-21393 Expiry/15/3/25
Distt Gautam Budh Nagar

(18)

20210099800566l

18.11.2017 एवं पत्रांक 344(1)/ज्ञानपुर/26–1 दिनांक 13.08.2021 के अन्तर्गत अनापत्ति दी गयी है।

यह इसका साक्ष्य है कि इस उपस्थापन–पत्र और निम्नलिखित अनुसूची द्वारा रक्षित और उसमें दिए गये और पट्टेदार की ओर से भुगतान किए जाने वाले, पालन तथा सम्पादन किए जाने वाले स्वामित्वों, प्रसंविदाओं तथा अनुबन्धों के प्रतिफल मे राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार को निम्नलिखित प्रदान और पट्टान्तरित करता है।

साधारण बालू (गंगा नदी) (खनिजजिन्हे आगे और अभिदिष्ट अनुसूची में "उक्त" "खनिज" कहा गया है), की समस्त खान तल्प (beds) संदर सीम्स(veins seams) जो उक्त अनुसूची के भाग–1 में अभिदिष्ट भूमि में या उसके नीचे स्थित हो, के साथ, जिसके सम्बन्ध में उन प्रतिबन्धों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए प्रयोग या उपयोग किया जायेगा जो ऐसी स्वतंत्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग तथा उपयोग करने के बारे में हों सिवाय इसके और इसमें से आरक्षित उक्त नियमावली में उल्लिखित स्वतंत्रताओं, अधिकार तथा विशेषाधिकार राज्य सरकार में पट्टान्तरित हो जायेगें। दिनांक 14.12.2021 से पाँच वर्ष की आगामी अवधि के लिए पट्टेदार की एतद्द्वारा दिए गए और पदान्तरित ऐसे भू–गृहादि धारण करना, जिनसे खनिज निकलने लगे और राज्य सरकार को उक्त अनुसूची के भाग–2 में उल्लिखित स्वामित्वों का भुगतान उसमें निर्दिष्ट भिन्न–भिन्न समयों पर होने लगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा उक्त भाग के उपबन्धों के अधीन हो और पट्टेदार एतद्द्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंविदा करता हैं, और राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार के साथ प्रसंविदा करती है, जैसा कि उक्त नियमावली में अभिव्यक्त है और एतद्द्वारा इसके साथ दिए गए पक्षों के बीच परस्पर सहमत हुआ है और जैसा कि उक्त अनुसूची के भाग–3 में अभिव्यक्त है।

ऊपर अभिदिष्ट अनुसूची)

राणा प्रताप सिंह

अपर जिलाधिकारी (वि/रा) भदोही

जिलाधिकारी भदोही

राणा प्रताप सिंह

ATTESTED

Arvind Kumar Srivastava
Advocate Notary
Reg No -21393 Expiry/15/3/25
Distt Gautam Budh Nagar

(19)

आवेदन सं०: 202100998005661

वर्ष: 2021

बही स०: 1 रजिस्ट्रेशन स०: 4222

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता: 1

श्री उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कमलेश कुमार सरोज (खनन लिपिक), पुत्र श्री स्व० रामदुलार

निवासी: खनन–अनुभाग भदोही ,कलेक्ट्रेट,भदोही -221304

व्यवसाय: नौकरी

पट्टा गृहीता: 1

श्री राणा प्रताप सिंह, पुत्र श्री गजराज सिंह

निवासी: बलनपुर पोस्ट जंगीगंज तहसील ज्ञानपुर जनपद भदोही-221310

व्यवसाय: ठेकेदार

राणा प्रताप सिंह

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री अजय कुमार सिंह , पुत्र श्री स्व० जगत नारायण सिंह

निवासी: कठौता पोस्ट गोपीगंज तहसील ज्ञानपुर जनपद भदोही-221303

व्यवसाय: कृषि अजय कुमार सिंह

पहचानकर्ता : 2

श्री अजीत प्रताप सिंह , पुत्र श्री विनोद कुमार

निवासी: चक बसेहू (बंजारी) पोस्ट गोपीगंज जनपद भदोही-221303

व्यवसाय: कृषि

अजीत प्रताप सिंह

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है। टिप्पणी: कार्यालय जिलाधिकारी भदोही द्वारा निर्गत पत्र संख्या 49/खनन लिपिक/2021 दिनांक दिसम्बर 2021 के द्वारा पंजीकरण हेतु श्री कमलेश कुमार सरोज खनिज लिपिक को अधिकृत किया गया है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विजय कुमार श्रीवास्तव, प्रभारी
उप निबंधक : ज्ञानपुर
भदोही

निबंधक लिपिक

कार्यालय उप निबंधक भदोही

ATTESTED

राणा प्रताप सिंह

Arvind Kumar Srivastava
Advocate Notary
Reg No -21393 Expiry/15/3/25
Distt Gautam Budh Nagar

(20)

202100998005661

पत्रांक--514/एस0टी0/2021 दिनांक 26.11.2021 की आख्या के अनुसार रु0 2075420/- का स्टाम्प है।

दस्तावेज मजकूर में मु0 20,75,420/- रूपये का ई स्टाम्प लगा है जिसका प्रमाण पत्र संख्या IN-UP61045377033784T दिनांक 08-12-2021

इनके साक्ष्य के रूप में यह उपस्थापन-पत्र एतद्धीन आई हुई रीति से ऊपर उल्लिखित दिनांक और वर्ष को निष्पादित किया गया है।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से

1–	
2–	
3–	

की उपस्थिति में जिलाधिकारी भदोही द्वारा हस्ताक्षरित

1–	अजय कुमार सिंह पुत्र जगत नारायण सिंह नि० कठौता गोपीगंज मो० 6684022680
2–	अजीत प्रताप सिंह पुत्र स्व० विनोद सिंह नि० - चकबेसहूँ जगन्नाथपुर गोपीगंज-भदोही 9936465600

की उपस्थिति में पट्टेदार द्वारा हस्ताक्षरित।

राणा प्रताप सिंह

भदोही

ATTESTED

राणा प्रताप सिंह

Arvind Kumar Srivastava
Advocate Notary
Reg No -21393 Expiry/15/3/25
Distt Gautam Budh Nagar

(२१)

आवेदन सं०: 202100998005661

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3410 के पृष्ठ 269 से 314 तक क्रमांक 4222 पर दिनाँक 14/12/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विजय कुमार श्रीवास्तव प्रभारी
उप निबंधक : ज्ञानपुर
भदोही
14/12/2021

कार्यालय उप निबंधक ज्ञानपुर भदोही
सत्यमेव जयते

राणा प्रताप सिंह

ATTESTED

Arvind Kumar Srivastava
Advocate Notary
Reg No -21393 Expiry/15/3/25
Distt Gautam Budh Nagar